न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 28/2017

जगदीश प्रसाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।

सायल

बनाम

भरत सुखानी पुत्र घनश्यामदास सुखानी जाति सिंधी विक्रेता एवं मलिक घंसीभाऊ ज्यूस सेन्टर लक्ष्मण मन्दिर भरतपुर निवासी लक्ष्मण मन्दिर भरतपुर।

गैर सायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 3(1) (ZX) धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थिति :

गैर सायल स्वयं।

निर्णय

दिनांक : 6.12.2017

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत अंतर्गत 3(1) (ZX) धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 25.4.2017 को 12.30 पी0एम0 पर गैरसायल की दुकान घंसीभाऊ ज्यूस सेन्टर लक्ष्मण मन्दिर भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल एवं विक्रय हेतु स्टील की टंकी में 25 लीटर वैल ज्यूस (फ्रूट ज्यूस) पाया गया। जिसमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–339/एक्ट/2017/360 दिनांक 5.5.2017 द्वारा उक्त वैल ज्यूस (फ्रूट ज्यूस) का नमूना अमानक स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अमानक (SusStandard) स्तर की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत 3(1) (ZX) धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर वकील गैरसायल ने कथन किया कि यह ज्यूस मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में जो कमियां पायी गई है उन्हें सहवनवश भूल एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। जिसका भी हमने तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए ज्यूस का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण गैर सायल की दुकान पर आम जनता को विक्रय हेतु वैल ज्यूस (फ्रूट ज्यूस) का नियमानुसार नमूना लिया जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–339/एक्ट/2017/360 दिनांक 5.5.2017 द्वारा अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अमानक स्तर के ज्यूस का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत 3(1) (ZX) धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011. का उल्लघंन किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैर सायलान को 3000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायलान द्वारा रसीद संख्या 000067 दिनांक 6.12.2017 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.12.2017 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,

भरतपुर